

फा.सं. 354/131/2019-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

कर अनुसंधान इकाई

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक
प्रधान आयुक्त/केन्द्रीय कर और सीमाशुल्क आयुक्त

महोदया/महोदय,

विषय:- विभिन्न वस्तुओं (माल) के वर्गीकरण और जीएसटी (दरों) से संबंधित स्पष्टीकरण- के संदर्भ में।

निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू जीएसटी दरों के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:

- (i) फलीदार सब्जियों जैसे कि चने का वर्गीकरण जिन्हें कि मध्यम आंच पर सुखाया गया हो का वर्गीकरण।
 - (ii) बादाम दूध का वर्गीकरण।
 - (iii) यांत्रिक स्प्रेयर पर लागू जीएसटी दर।
 - (iv) भारतीय नौसेना द्वारा आयातित स्टोर की करदेयता।
 - (v) पट्टे के अंतर्गत आयातित माल की करदेयता।
 - (vi) सोलर वाटर हीटर और इसकी प्रणाली के उत्पादन से संबंधित भागों पर लागू जीएसटी दर।
 - (vii) एक चिकित्सीय यंत्र में पूर्ण या मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले उपकरणों और इसके पुर्जों पर लागू जीएसटी दर।
2. मुद्देवार स्पष्टीकरण पर चर्चा निम्नलिखित है:

3. फलीदार सब्जियों जिन्हें कि मध्यम आंच पर सुखाया गया हो (शुष्क करने के लिए) का वर्गीकरण

3.1. यह शंका उठायी गयी है कि क्या मध्यम आंच पर सुखाये जाने से फलीदार सब्जियों

(जैसे कि चना) के वर्गीकरण में बदलाव किया जायेगा।

3.2 सूखी फलीदार सब्जियों का वर्गीकरण एचएस कोड 0713 में किया गया है। एचएस 2017 के स्पष्टीकरण के अनुसार, शीर्ष 0713 के अंतर्गत फलीदार सब्जियों को रखा गया है जो कि शीर्ष 0708 के अंतर्गत (आती हैं और) जिन्हें सुखाया व छिलका हटाया जा चुका हो तथा जो कि मानव या जन्तु उपभोग (जैसे कि मटर, चना इत्यादि) के लिए प्रयोग की जाती हैं। बेहतर संरक्षण हेतु (विशेष रूप से) उन्हें मध्यम आंच पर सुखाया गया हो; जिससे एन्जाइम निष्क्रिय हो जाएं तथा आर्द्रता के खत्म करने हेतु हो।

3.3. अतः यह स्पष्ट है कि ऐसी फलीदार सब्जियाँ जिनकी आर्द्रता को समाप्त करने के लिए, या उन्हें नर्म और फुलाने के लिए या छिलका उतारने के लिए केवल आंच पर गरम किया गया है और इसमें अन्य कोई प्रसंस्करण नहीं किया गया है या अन्य कोई सामग्री जैसे कि नमक और तेल नहीं मिलाया गया है, को एचएस कोड 0713 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऐसी वस्तुओं पर यदि ब्रांड और किसी बर्तन में पैक किये जाने पर जीएसटी की 5% दर [अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की क्रम सं. 25] लागू होगी। अन्य सभी मामलों में ऐसे माल पर जीएसटी से छूट [अधिसूचना सं. 02/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की क्रम सं. 45] प्रदान की गयी है।

3.4. हालांकि, यदि उक्त फलीदार सब्जियों में अन्य सामग्री (जैसे कि तेल, नमक इत्यादित) मिलाया जाता है या इसे नमकीन की तरह बेचा जाता है तो इसका वर्गीकरण उपशीर्ष 210690 जैसे नमकीन, भुजिया, चबेना और ऐसे ही समान खाद्य के अंतर्गत किया गया है और लागू जीएसटी दर लगायी जायेगी।

4. बादाम दूध का वर्गीकरण और लागू जीएसटी दर:

4.1. यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या “बादाम दूध” का वर्गीकरण “फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस आधारित पेय” के रूप में किया जायेगा और इस पर टैरिफ मद 2202 99 20 के अंतर्गत 12% जीएसटी लगाया जायेगा।

4.2. बादाम दूध बादाम को पानी के साथ घोटकर और छानकर बनाया जाता है। इस प्रकार बादाम दूध में न ही कोई फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस होता है। अतः इसका वर्गीकरण टैरिफ मद 2202 99 20 के अंतर्गत नहीं किया गया है।

4.3. बादाम दूध का वर्गीकरण अवशिष्ट प्रविष्टि के तौर पर टैरिफ मद 2202 99 90 के अंतर्गत किया गया है और इस 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

5. यांत्रिक स्प्रेयर पर लागू जीएसटी दर:

5.1. अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची II की

प्रविष्टि सं. 195ख के तहत “यांत्रिक स्प्रेयर्स” के क्षेत्र और इस पर लागू जीएसटी दर के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रविष्टि सं. 195ख को अधिसूचना सं. 06/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के द्वारा अंतःस्थापित किया गया था।

5.2. शीर्ष 8424 की सभी वस्तुएं [जैसे, तरल या पाउडर को प्रक्षेपण, बिखेरने या स्प्रे करने के यांत्रिक उपकरण (हस्तचालित अथवा नहीं); स्प्रेगन और ऐसे उपकरण; भाप या रेत ब्लास्टिंग मशीनें और ऐसी जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें (अग्निशमन उपकरण से भिन्न चाहे चार्ज हो अथवा नहीं)] पर 25 जनवरी, 2018 तक 18% की दर से जीएसटी [अनुसूची III की क्रम सं. 325] लगाया जाता था। बाद में, विभिन्न अनुरोधों/अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटी परिषद ने अपनी 25वीं बैठक में यांत्रिक स्प्रेयर्स पर 12% की दर से जीएसटी लगाने की अनुशंसा की। तदनुसार, अधिसूचना सं. 06/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को जीएसटी की दर 12% (अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची II की प्रविष्टि सं. 195ख) निर्धारित की गयी। इसके साथ ही, यांत्रिक स्प्रेयर्स को उक्त अनुसूची III की क्रम सं. 325 से बाहर रखा गया।

5.3. तदनुसार, यह स्पष्ट है किया जाता है कि अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची II की प्रविष्टि सं. 195ख के अंतर्गत सभी प्रकार के “यांत्रिक स्प्रेयर्स” रखे गये हैं, चाहे वे हस्तचालित हों अथवा नहीं (जैसे हस्तचालित स्प्रेयर्स, पावर (शक्ति चालित) ऑपरेटिव स्प्रेयर्स, बैटरी चालित स्प्रेयर्स, फुट स्प्रेयर्स, रॉकर इत्यादि)।

6. भारतीय नौसेना के लिए स्टोर के रूप में आपूर्त माल पर कर की देयता के संबंध में स्पष्टीकरण:

6.1. भारतीय नौसेना से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भारतीय नौसेना के किसी जहाज के प्रयोग के लिए स्टोर के रूप में आपूर्त माल पर कर की देयता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

6.2. संक्षेप में बताया गया है कि उस समय के राजस्व एवं बीमा विभाग के पत्र सं. 21/31/63-सीमाशुल्क-IV, दिनांक 17 अगस्त, 1966 के अनुसार भारतीय नौसेना के जहाजों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उद्देश्य के लिए “विदेश जाने वाले जलयान” माना जाता था और इन नौसेना के जहाजों के बोर्ड पर काम करने वाले नौसेना के कर्मचारी आयातित भण्डार की शुल्क मुक्त आपूर्ति के हकदार हुआ करते थे, चाहे ये जहाज भारतीय बंदरगाह में ही क्यों न ठहरे हों। हालांकि जीएसटी के युग में ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है जो कि भारतीय नौसेना के जलयान के द्वारा की गयी आयातित भण्डार की खरीद पर आईजीएसटी से छूट के बारे में हो। अब सन्देह यह पैदा होता है कि क्या ऐसी कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं है, जबकि तटरक्षक बल के लिए ऐसी छूट उपलब्ध है (अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017)। विशेष रूप से नौसेना के लिए ऐसी कोई छूट निर्धारित नहीं की गयी है।

6.3. भारतीय नौसेना के जलयान के स्टोर्स को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 90(1) के अनुसार आयात शुल्क से छूट प्राप्त है। इसके अलावा धारा 90(2) के अनुसार “भारतीय नौसेना के जहाज के बोर्ड पर ली गयी” वस्तु के बारे में यह माना जायेगा कि इसे भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात किया गया है। इसके अलावा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 90(1) और धारा 90(3) में यह प्रावधान है कि भारतीय नौसेना के जहाज के प्रयोग के लिए आयातित भण्डार और भारतीय नौसेना के जहाज के चालक दलों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार भारत सरकार के द्वारा आपूर्त किए गये मुफ्त भण्डार को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त होगी।

6.4. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि नौसेना के जहाज में प्रयोग के लिए आयातित भण्डारों पर जीएसटी से छूट प्राप्त है।

7. पट्टे के अंतर्गत आयातित माल पर कर की देयता से संबंधित स्पष्टीकरण:

7.1. ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पट्टे के अंतर्गत आयातित माल पर करदेयता के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

7.2. अस्थायी आधार पर आयातित माल के बारे में, वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य हिस्से जिनका कि केन्द्रीय माल अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के तहत भारत में आयात किया गया हो, पर अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 के क्रम सं. 547क के अंतर्गत आईजीएसटी से छूट दी गयी है, बशर्ते कि शर्त सं. 102 पूरी होती हो, जो कि इस प्रकार है:-

आयातकर्ता उस फॉर्म में जिसे कि आयुक्त, सीमाशुल्क विनिर्दिष्ट करे, एक बंधपत्र जारी करके स्वयं को निम्न के प्रतिबद्ध करता हो,-

- (i) उन सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी, 2017 की धारा 5(1) के अंतर्गत लगने वाले एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आती हों;*
- (ii) आयात वाले पतन के सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना माल को न तो बेचना न किसी को देना;*
- (iii) ऐसे माल का उस अवधि की समाप्ति के 3 महीने के भीतर पुनः निर्यात करना जिस अवधि के लिए उनकी केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के तहत भारत के बाहर से आपूर्ति की गई हो;*
- (iv) उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट के सिवाय उक्त माल पर लगने वाले एकीकृत कर के बराबर की राशि की मांग किए*

जाने पर भुगतान करना।

7.3. इसी प्रकार तेल या गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए आयातित रिग्स और सहायक सामानों जो कि आयात के पश्चात प्रयोग किये जाने के लिए आयातकर्ता द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, को भी उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 557क के अनुसार आईजीएसटी से छूट प्राप्त है। तदनुसार पट्टे के अंतर्गत आयातित सभी वस्तुओं, जलयानों, जहाजों (मोटर वाहनों से भिन्न), जो कि आयात के पश्चात प्रयोग किये जाने के लिये आयातकर्ता के द्वारा लिये गये हों, पर भी उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 557ख के अनुसार आईजीएसटी से छूट प्राप्त है। ये दोनों ही प्रविष्टियाँ उक्त अधिसूचना की शर्त सं. 102 के अधीन हैं।

7.4. क्रम सं. 557क और 557ख का आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति की एक व्यवस्था के अंतर्गत आयातित सामानों पर आईजीएसटी से छूट देना है जिससे कि दोहरे कराधान से बचा जा सके।

7.5. तदनुसार, एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिव्यक्ति “पट्टे पर लिये गये/पट्टे के अंतर्गत आयातित” (अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017 के क्रमशः क्रम सं. 557क और 557ख) के अंतर्गत में सभी आयात आते हैं जो कि ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत किये जाते हों जिससे कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) में आने वाली सेवाओं की आपूर्ति की जा सके ताकि दोहरे कराधान से बचा जा सके। यह स्पष्टीकरण विगत में हुए ऐसे संव्यवहारों पर लागू होता है।

7.6. इसके अलावा अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017 के क्रम सं. 557क और 557ख की शब्दावली को उक्त अधिसूचना की शर्त सं. 102 के अनुरूप कर दिया गया है ताकि इस प्रकार की उठायी गयी समस्या का समाधान हो सके [देखें- अधिसूचना सं. 34/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 30.09.2019, जो कि 01.10.2019 से लागू है]

8. सोलर वाटर हीटर और इसी प्रकार की प्रणाली के विनिर्माण से संबंधित कलपुर्जों पर जीएसटी की दर का लागू होना:

8.1. सोलर वाटर हीटर के उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले सोलर ईवैक्यूटिड ट्यूब पर लागू जीएसटी दर के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जबकि सोलर आधारित मशीनों (अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की क्रम सं. 234) के उत्पादन में प्रयोग होने वाले भागों पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। सोलर वाटर हीटर के भागों के संदर्भ में यह शंका इस आधार पर उठायी गयी है कि सोलर आधारित मशीने केवल सोलर विद्युत पर ही कार्य करती हैं।

8.2 प्रविष्टि सं. 232 के अनुसार सोलर वाटर हीटर और प्रणाली पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है, इसके अलावा अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 की क्रम सं. 234 के अनुसार, सोलर आधारित मशीने और उसके उत्पादन के लिए पुर्जे जो कि अध्याय 84, 85 और 94 के अंतर्गत आते हैं और इस पर छूट आधारित 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। सोलर आधारित मशीनों का अर्थ ऐसी मशीनों से है जो सूर्य से ऊर्जा लेकर कार्य करती हैं और यह ऊर्जा विद्युत, उष्मा या प्रकाश के रूप में हो सकती है। अतः सोलर वाटर हीटर और प्रणाली क्रम सं. 234 के अंतर्गत सोलर आधारित मशीनों की श्रेणी में आते हैं। सोलर वाटर हीटर एक सोलर आधारित मशीन है। अतः सोलर ईवेक्यूडिट ट्यूब जो कि अध्याय 84 के अंतर्गत और इसके अन्य भाग जो कि अध्याय 84, 85 और 94 के अंतर्गत आते हैं, और जिनका प्रयोग सोलर वाटर हीटर और प्रणाली के उत्पादन में किया जाता है, ऐसे उत्पादों पर क्रम सं. 234 के अंतर्गत 5% जीएसटी लगाया जायेगा।

8.3. तदनुसार, यह स्पष्ट है किया जाता है कि सोलर ईवेक्यूडिट ट्यूब एवं इसके कलपुर्जे जो कि अध्याय 84, 85 और 94 के अंतर्गत आते हैं और जिनका प्रयोग सोलर वाटर हीटर और प्रणाली के उत्पादन में किया जाता है, ऐसे उत्पादों पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

9. एक चिकित्सीय यंत्र में पूर्ण या मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले उपकरणों और इसके कलपुर्जों पर लागू जीएसटी दर:

9.1. नेत्र संबंधी उपकरणों के कलपुर्जे जिनका प्रयोग पूर्ण या मुख्य रूप से नेत्र संबंधी उपकरणों में किया जाता है, पर लागू जीएसटी के स्पष्टीकरण से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

9.2. संक्षेप में, एचएस 9018, 9019, 9021 और 9022 के अंतर्गत आने वाले चिकित्सीय उपकरणों पर 12% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। किन्तु ऐसे उपकरणों के पुर्जों का विशेष रूप से वर्णन अधिसूचना में नहीं किया गया है। नेत्र संबंधी उपकरणों के भाग, जिनका प्रयोग पूर्ण या मुख्य रूप से नेत्र संबंधी उपकरणों में किया जाता है, के आयात को शीर्ष 9018 के अंतर्गत वर्गीकरण के आधार पर जीएसटी दर का आंकलन 12% किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रणाली पर सीएजी (CAG) द्वारा आपत्ति उठायी गयी है, यह सुझाव दिया गया है कि चूंकि ऐसे माल का विशेष रूप से जीएसटी दर अधिसूचना में वर्णन नहीं है, इसलिए यह माल टैरिफ मद 9033 00 00 [अवशिष्ट प्रविष्टि] के अंतर्गत आते हैं और इस पर 18% की दर से आईजीएसटी लगाया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, कस्टम्स द्वारा उक्त माल पर 18% जीएसटी का आंकलन किया जाना आरम्भ कर दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में, व्यापार और उद्योगों से इस मामले पर स्पष्टीकरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

9.3. मामले की जांच-परख की गयी है। अध्याय 90 के अध्याय नोट 2(ख) के अनुसार ऐसे भागों और उपकरणों जिनका प्रयोग मुख्य और प्रमुख रूप से चिकित्सीय उपकरणों में किया जाता है, को अध्याय 90 में केवल मशीन के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। त्वरित गणना के लिए अध्याय नोट 2(ख) की प्रतिलिपि निम्नलिखित है:-

“2(ख) अन्य भागों और उपकरणों, यदि वे किसी विशेष प्रकार की मशीनों, उपकरणों या यंत्रों या विभिन्न मशीनों, उपकरणों या यंत्रों में पूर्ण या मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं तो उन्हें भी उसी प्रकार के मशीनों, उपकरणों या यंत्रों के शीर्षों (शीर्ष 9010, 9013 या 9031 के अंतर्गत मशीन, उपकरण या यंत्रों सहित) में वर्गीकृत किया जायेगा;”

9.4. अतः अध्याय नोट 2(ख) के अनुसार, नेत्र संबंधी उपकरणों के भागों जिनका प्रयोग पूर्ण या मुख्य रूप से नेत्र संबंधी उपकरणों में किया जाता है, का वर्गीकरण नेत्र संबंधित उपकरणों में किया जाना चाहिए और इसपर 12% की दर जीएसटी लगाया गया है।

9.5. उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्याय नोट 2(ख) की शर्तों के अनुसार शीर्ष 9018, 9019, 9021 या 9022 के अंतर्गत आने वाले चिकित्सीय उपकरण में पूर्ण या मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले भागों और उपकरणों पर 12% की दर से आईजीएसटी लगाया जायेगा।

10. यदि कोई कठिनाई हो तो, शीघ्र ही बोर्ड के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भवदीय

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार